



INDIA NON JUDICIAL



IN-UP02042576730382V

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

PRAKASH JAISWAL
 ACC Contd. UP14161804116 No. 17
 District Court - Prayagraj
 Web - 120317324
 District Seal - Prayagraj

Certificate No. : IN-UP02042576730382V
 Certificate Issued Date : 30-Aug-2023 04:58 PM
 Account Reference : NEWIMPACC (SV) up14161804/ PRAYAGRAJ
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1416180499663594184784V
 Purchased by : JANSEWA KALYAN SAMITI ANDAWA SARAI INAYAT PRJ
 Description of Document : Article 4 Affidavit
 Property Description : Not Applicable
 Consideration Price (Rs.) :
 First Party : JANSEWA KALYAN SAMITI ANDAWA SARAI INAYAT PRJ
 Second Party : Not Applicable
 Stamp Duty Paid By : JANSEWA KALYAN SAMITI ANDAWA SARAI INAYAT PRJ
 Stamp Duty Amount (Rs.) : 100
 (One Hundred only)



30/8/23

Please verify the type before use.

हपथ पत्र

हम द्वारिका प्रसाद सिंह एवं काठ सुबेदार सिंह कनका अय्यल एवं सचिव जनसेवा कल्याण समिति अन्दावी, सरायइनासत, प्रयागराज जल्पापूर्वक निम्नवत् बयान करते हैं-

1. यह कि, हमारी सोसाइटी जनसेवा कल्याण समिति अन्दावी, सरायइनासत, प्रयागराज नामक डिप्लोमा इन फार्मेली संस्थान जी. स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।
2. यह कि, हमारी सोसाइटी जनसेवा कल्याण समिति के नाम ग्राम जयन्तीपुर, कौहाम्बी में गाटा संख्या 114,115,116,117,118,119,120,130, एवं रकबा क्रमशः 0.0800, 0.0680, 0.0680, 0.1710, 0.0570, 0.3000, 0.0800 एवं कुल रकबा 0.8240 हेक्टेयर भूमि है।
3. यह कि, उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी बाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।
4. यह कि, उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या 114,115,116,117,118,119,120,130, एवं रकबा क्रमशः 0.0800, 0.0680, 0.0680, 0.1710, 0.0570, 0.3000, 0.0800 एवं कुल रकबा 0.8240 हेक्टेयर पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मेली संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी की बैठक दिनांक 10.01.2020 द्वारा पारित किया गया है।

Electronic Stamp

1. The e-stamp of this document should be verified by visiting the website of the Government of Uttar Pradesh at www.up.gov.in or the website of the State e-Stamping, Govt. of Uttar Pradesh at www.up.gov.in or the website of the State e-Stamping, Govt. of Uttar Pradesh at www.up.gov.in.

2. The e-stamp of this document should be verified by visiting the website of the State e-Stamping, Govt. of Uttar Pradesh at www.up.gov.in.

3. The e-stamp of this document should be verified by visiting the website of the State e-Stamping, Govt. of Uttar Pradesh at www.up.gov.in.

5. यह कि, उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदन नक्शे के अनुसार किया गया है।
6. यह कि, निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।
7. यह कि, इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोमा फार्मसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।
8. यह कि, इस संस्था में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद् से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
9. यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद् उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद्/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आईटीआई आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।
10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद् के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।

11. यह कि, संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।

12. यह कि, शासन/परिषद् द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का भलीभांति पालन करूंगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी सम्बन्धित निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद् की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

13. घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटचिंतित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद् द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊंगा।


हो सचिव


हो अध्यक्ष

DECLARATION / AFFIRMATION made by
..... at AM/UM by Sr.
Notary
Identified by Mr.
Advocate to be his/her agent and
true and correct which is here by
certified and attested
R.B. Singh
Notary

Identified by
Advocate
Pravaqar